प्रारंभिक परीक्षा

निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की अनुमति देने वाला विधेयक

संदर्भ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन विधेयक पेश किए, जो गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को पद से हटाएंगे।

संबंधित विधायी उपाय -

- **संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक**, **2025** → संघ + राज्य।
- **केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक**, **2025** → 1963 के अधिनियम को संशोधित करता है (दिल्ली**,** पुडुचेरी को शामिल करता है)।
- **जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक**, **2025** → 2019 के अधिनियम की धारा 54 में परिवर्तन करता है।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान -

- **प्रस्तावित संशोधन**: अनुच्छेद-75, 164, 239AA।
    - **अनुच्छेद 75** → संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित)।
    - **अनुच्छेद 164** → राज्यों में मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री सहित)।
    - **अनुच्छेद 239AA** → राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान।
- **निष्कासन खंड**: यदि किसी **प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री/मंत्री को 5+वर्ष के कारावास की सजा वाले आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है:**
    - **संघ स्तर** → राष्ट्रपति प्रधानमंत्री/केन्द्रीय मंत्रियों को हटाता है।
    - **राज्य स्तर** → राज्यपाल मंत्रियों को हटाता है (मुख्यमंत्री की सलाह पर); मुख्यमंत्री को सीधे हटाता है।
    - **संघ राज्य क्षेत्र एवं जम्मू-कश्मीर** → संघ राज्य क्षेत्र/जम्मू-कश्मीर-विशिष्ट संशोधनों के माध्यम से समान प्रावधान।
- **पुनर्नियुक्ति**: मंत्रीगण रिहाई के बाद अपने पद पर वापस लौट सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू

वराह जयंती

संदर्भ

महाराष्ट्र के मंत्री **नितेश राणे ने** राज्य सरकार से **25 अगस्त को 'वराह जयंती' के रूप में मनाने का आग्रह किया**, जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम, स्कूलों में व्याख्यान और पाठ्यपुस्तकों में इसे शामिल किया जाए।

वराह जयंती क्या है?

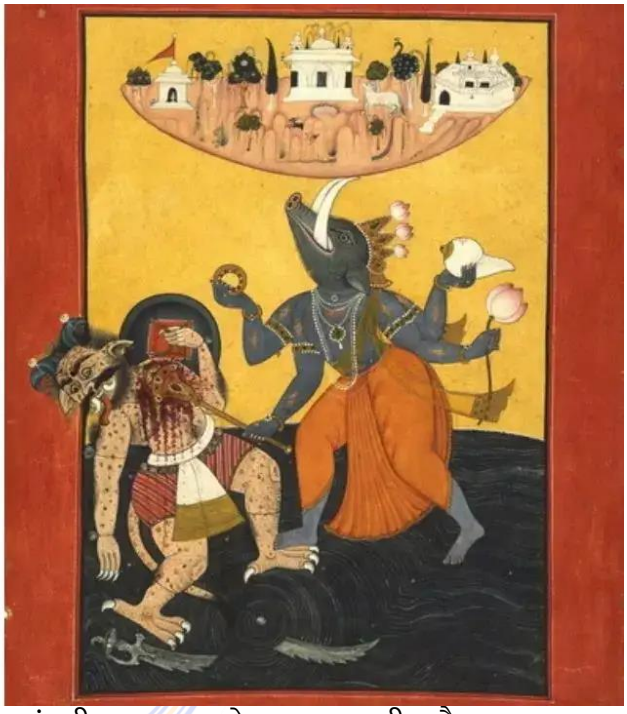

- **अवतार: भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह**(जंगली सूअर रूप) के जन्म का प्रतीक है।
- **पौराणिक महत्व:** राक्षस हिरण्याक्ष द्वारा जलमग्न की गई पृथ्वी (भूदेवी) को वराह रूप में भगवान विष्णु ने ब्रह्मांडीय सागर से ऊपर उठाया था।
- **प्रतीकात्मकता**: **बुराई पर अच्छाई की जीत** और **ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली का प्रतिनिधित्व करता है**।
- **उत्सव**: इसमें भगवान विष्णु को समर्पित पूजा, भजन, प्रवचन और अनुष्ठान शामिल हैं।
- **तिथि**: भाद्रपद (आमतौर पर अगस्त/सितंबर) के महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया (उज्ज्वल पखवाड़े का तीसरा दिन) को मनाया जाता है।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन(International Solar Alliance-ISA)

संदर्भ

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) भारत में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने और दुनिया भर में 17 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में -

- **लॉन्च किया गया: 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में।**
- **लक्ष्य**: 2030 तक 1,000 गीगावाट सौर क्षमता की वृद्धि को समर्थन प्रदान करना तथा 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना।
    - यह तकनीकी और वित्तीय संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा की तैनाती में आने वाली राजनीतिक, विनियामक, तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है।
- **सदस्य:** वर्तमान में, **120 देश हस्ताक्षरकर्ता** हैं और **102 देशों ने ISA का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।**
- **शासन संरचना**:

    - **सभा(Assembly)**: **सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था।**
        - इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
        - यह मंत्रिस्तरीय स्तर पर प्रतिवर्ष बैठक करती है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं:
            - ✓ महानिदेशक(Director General) का चयन
            - ✓ परिचालन बजट का अनुमोदन
            - ✓ सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रमों और पहलों का मूल्यांकन।
    - **स्थायी समिति(Standing Committee):** इसमें अध्यक्ष, सह-अध्यक्ष और 8 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शामिल हैं।
        - यह सभा और क्षेत्रीय समितियों के बीच एक सेतु का काम करती है क्योंकि यह चर्चाओं और निर्णयों को सुगम बनाती है जो सभा के विचार-विमर्श को सूचित करते हैं।
    - **क्षेत्रीय समितियाँ**: 4 क्षेत्रीय समूह - अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, यूरोप और अन्य, तथा लैटिन अमेरिका-कैरिबियन।

        - प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समिति होती है जो अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा पहलों की प्रगति, चुनौतियों और अवसरों का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करती है।
- **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** क्षेत्रीय समितियों में हुई चर्चाएँ स्थायी समिति के विचार-विमर्श को सूचित करती हैं। ये विचार-विमर्श, बदले में, सभा को अंतर्दृष्टि और सिफ़ारिशें प्रदान करते हैं।
    - प्रत्येक सदस्य देश का सभा में एक वोट होता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
- **कार्यक्रम और सहायता:** ISA अपने सदस्य देशों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
    - सौर प्रौद्योगिकी पर स्थानीय हितधारकों को प्रशिक्षण देना।
    - **व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF)** जैसे तंत्रों के माध्यम से सौर परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना, जिसे हाल ही में विकासशील देशों के लिए परियोजना लागत के 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।
    - सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों में क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

तथ्य

- **भारत को 2024 से 2026 तक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष और फ्रांस को सह-अध्यक्ष चुना गया।**

स्रोत: द हिंदू

1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि(Outer Space Treaty of 1967)

संदर्भ

भारत अपनी बढ़ती सार्वजनिक और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून बनाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि वर्तमान में उसके पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए व्यापक घरेलू कानून का अभाव है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि -

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (OST), 1967, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग को विनियमित करने वाला आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय कानून है।**
- यह संधि शीत युद्ध कूटनीति के दौरान, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र "अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा" की प्रतिद्वंद्विता के समय तैयार की गई थी।
- 1957 में सोवियत संघ द्वारा स्पुतनिक के प्रक्षेपण से अंतरिक्ष के सैन्य युद्धक्षेत्र बनने की आशंकाएँ पैदा हो गईं।
- **शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, देशों ने 1967 में संधि पर बातचीत की और हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत सहित 115 हस्ताक्षरकर्ता थे।**

OST के प्रमुख प्रावधान -

- **अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग** - चंद्रमा और खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है; हथियारों की होड़ से बचना होगा।
- **सामूहिक विनाश के हथियारों का निषेध** - कक्षा में या खगोलीय पिंडों पर परमाणु या अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती निषिद्ध है।
- **कोई संप्रभुता का दावा नहीं** - कोई भी सरकार बाह्य अंतरिक्ष या खगोलीय पिंडों पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकती; अंतरिक्ष एक वैश्विक साझा संपत्ति बनी हुई है ।
- **गैर-विशिष्ट अन्वेषण** - किसी भी देश के पास अंतरिक्ष में किसी विशेष क्षेत्र पर विशेष अधिकार नहीं है (उदाहरण के लिए, अमेरिका पहले उतरने के बावजूद चंद्रमा पर दावा नहीं कर सकता)।
- **राज्य की जिम्मेदारी** - राष्ट्र सरकारी और निजी अंतरिक्ष गतिविधियों दोनों के लिए जिम्मेदार हैं और अपने अंतरिक्ष वस्तुओं के कारण होने वाली किसी भी क्षति के लिए उत्तरदायी हैं।
- **अंतरिक्ष यात्री मानवता के दूत हैं** - अंतरिक्ष यात्रियों को मानवता का प्रतिनिधि माना जाता है; राष्ट्रों को संकट के समय उनकी सहायता करनी चाहिए तथा राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **पर्यावरण संरक्षण** - गतिविधियों से खगोलीय पिंडों के प्रदूषण से बचना चाहिए और पृथ्वी के जीवमंडल की रक्षा करनी चाहिए।

चुनौतियाँ और समकालीन मुद्दे -

- **निजी कम्पनियों का उदय - स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक** जैसी कम्पनियां अंतरिक्ष मिशनों का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन विनियमन पीछे हैं।
- **अनुच्छेद VI जवाबदेही** - सरकारें निजी अभिकर्ताओं के प्रति जवाबदेह हैं, फिर भी राष्ट्रीय नियामक ढांचे कमजोर हैं।
- **अंतरिक्ष मलबा** - उपग्रहों और मिशनों की बढ़ती संख्या से टकराव और दीर्घकालिक कक्षीय मलबे का खतरा बढ़ जाता है।
- **सैन्यीकरण संबंधी चिंताएं** - अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना कठिन है क्योंकि राष्ट्र रक्षा-उन्मुख अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।
- **संसाधन दोहन** - इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या खगोलीय पिंडों (जैसे, खनिजों के लिए) का खनन गैर-स्वामित्व खंड का उल्लंघन करता है, क्योंकि अन्वेषण की अनुमति है लेकिन स्वामित्व निषिद्ध है।

स्रोत: द हिंदू

चार्ज कपल्ड डिवाइस (Charge Coupled Devices-CCD)

संदर्भ

चार्ज कपल्ड डिवाइस (CCD) आविष्कारक **विलार्ड बॉयल** और **जॉर्ज स्मिथ** को याद किया जा रहा है (स्मिथ का निधन 28 मई, 2025 को हुआ)।

चार्ज कपल्ड डिवाइस (CCD) क्या हैं?

- प्रकाश के फोटॉन अर्धचालक (semiconductor) पर गिरते हैं → इलेक्ट्रॉन-होल युग्म (electron-hole pairs) उत्पन्न होते हैं।
- प्रत्येक पिक्सेल प्रकाश की तीव्रता के अनुपात में आवेश (charge) संग्रहित करता है।
- आवेश क्रमवार स्थानांतरित होकर → वोल्टेज में परिवर्तित होते हैं → डिजिटल छवि निर्मित होती है।

महत्व -

- डिजिटल फोटोग्राफी में क्रांति लाई (फिल्म कैमरों का स्थान लिया)।
- **व्यापक उपयोग:**
    - **खगोलशास्त्र** → हाई-रिज़ॉल्यूशन टेलेस्कोप।
    - **चिकित्सा** → एक्स-रे, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी।
    - **सुरक्षा** → सीसीटीवी, निगरानी।
    - **मीडिया और दैनिक जीवन** → डिजिटल कैमरे, स्मार्टफोन।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)

संदर्भ

अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन ने इजरायली नेताओं और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों द्वारा कथित युद्ध अपराधों की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिसे ICC ने अपनी स्वतंत्रता पर हमला कहा।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में -

- **स्थापना: 2002, विश्व के प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण के रूप में।**
- **कानूनी आधार: रोम संविधि (1998) द्वारा निर्मित, जो 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ।**
- **कार्य**: सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना –
    - नरसंहार
    - यूद्ध के अपराध
    - मानवता के विरुद्ध अपराध
    - आक्रामकता का अपराध
- **भूमिका**: अंतिम उपाय न्यायालय → राष्ट्रीय न्यायालयों का पूरक है, प्रतिस्थापित नहीं करता।

सदस्यता -

- **राज्य पक्ष**: 125 देश।
- **गैर-सदस्य: चीन, भारत, इजराइल, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे प्रमुख देश **इसके सदस्य नहीं हैं।**

अनुदान -

- राज्य पक्षों से योगदान।
- सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों और निगमों से स्वैच्छिक योगदान।

ICC की संरचना -

- **न्यायाधीश**: **18 न्यायाधीश** (प्रत्येक एक अलग सदस्य राज्य से), **गैर-नवीकरणीय 9-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते है।**
- **अध्यक्षता**: न्यायाधीशों में से चुने गए 3 न्यायाधीश (अध्यक्ष + 2 उपाध्यक्ष); न्यायालय के कार्य का प्रबंधन करते हैं और बाह्य रूप से ICC का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **न्यायिक प्रभाग**:
    - पूर्व-परीक्षण प्रभाग
    - परीक्षण प्रभाग
    - अपील प्रभाग
- **अभियोजक कार्यालय (OTP)**: रेफरल प्राप्त करता है, जांच करता है, और मामलों पर मुकदमा चलाता है।
- **रजिस्ट्री**: चैम्बर्स और ओटीपी को प्रशासनिक और परिचालन सहायता प्रदान करती है।

क्षेत्राधिकार -

- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के विपरीत, ICC राज्यों पर नहीं बल्कि व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।**
- ICC कार्रवाई कर सकता है यदि:
    1. यह अपराध रोम संविधि के किसी राज्य पक्षकार में हुआ, या
    2. अपराधी की राष्ट्रीयता किसी राज्य पक्ष से संबंधित है।

- केवल तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय मुकदमा चलाने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ हों।
- 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर लागू होता है।

संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध -

- **ICC संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है**, लेकिन इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग समझौता है (रोम संविधि का अनुच्छेद 2)।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** ICC के अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों को संदर्भित कर सकती है (जैसे, गैर-सदस्य राज्यों में स्थितियाँ)।

स्रोत: द हिंदू